न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/73

1. मांगी बाई पत्नी स्व0 मुकुट बिहारी आयु 37 वर्ष जाति मीणा ।
2. हनुमान आत्मज स्व0 मुकुट बिहारी आयु 18 वर्ष जाति मीणा ।
3. निकिता पुत्री स्व0 मुमुट बिहारी आयु 15 वर्ष जाति मीणा नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती मांगी बाई पत्नी स्व0 मुकुट बिहारी निवासीगण ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 64 वर्ष जाति मीणा ।
2. रामस्वरूप आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 72वर्ष जाति मीणा ।
3. मथुरा लाल आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 70 वर्ष जाति मीणा ।
4. रामनारायण आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 68 वर्ष जाति मीणा ।
5. रामचन्द्र आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 65 वर्ष जाति मीणा ।
6. धन्ना लाल आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 63 वर्ष जाति मीणा ।
7. पन्ना लाल आत्मज स्व0 राधाकिशन आयु 60 वर्ष जाति मीणा निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. पुष्पा पत्नी स्व0 राधाकिशन आयु 95 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. नन्दकंवर उर्फ नन्दकंवरी पत्नी जवाहरीलाल पुत्री राधाकिशन आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा कैथून से आगे तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल आयु 35 वर्ष जाति मीणा निवीस ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. मूर्ति बाई पत्नी मुकेश पुत्री मांगीलाल आयु 28 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री रूपनारायण पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल किता 22 की रकबा 5.96 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व में खातेदार राधाकिशन थे और राधाकिशन जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी कम 01 से 09 उक्त भूमि में 1/9– 1/9 हिस्से के अधिकारी बने । अप्रार्थी कम 1 मांगीलाल के तीन संताने थी जिनमे मुकुट बिहारी का देहान्त हो चुका है । प्रार्थिया कम 01 के दादा ससुर के जीवनकाल में प्रार्थी कम 02 व 03 पैदा हुए इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा अर्थात् प्रार्थीगण का कुल हिस्सा 1/36 बनता है प्रत्येक प्रार्थी का 1/108 हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थीगण प्राप्त के अधिकारी हैं । ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा की अन्य आराजी जिसका खाता संख्या नया 51 पुराना 47 की खसरा नम्बर 123 रकबा 0.03 हैक्टर में मांगीलाल के हिस्से 1/104 बनता है जिसमे से प्रार्थीगण का कुल 1/104 हिस्सा बनता है । ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में अन्य गैर खातेदारी की आराजी नया खाता संख्या 63 पुनाना 62 में कुल 05 किता की रकबा 0.61 हैक्टर स्थित है । उक्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें मांगीलाल का 1/9 हिस्सा दर्शाया गया है उसमें भी प्रार्थीगण का कुल हिस्सा 1/104 अर्थात् प्रत्येक का 1/312 – 1/312 बनता है जिसे प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है । अप्रार्थी कम 10 एवं अप्रार्थी कम 01 ने आपस में मिली भगत कर प्रार्थीगण के हिस्से को हडपने तथा अपने पुश्तैनी हिस्से से महरूम करने के आशय से मात्र महेन्द्र का नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया । उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं बेचान करने पर आमादा है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के निहित हिस्से को बेचान, दान, रहन हिबा आदि न करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थी कम 1, 2 व 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने यह प्रमाणित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी में उसका हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण अपने हितों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में हैं । यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द या रहन, बेचान कर दी गई तो अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया था कि अपीलान्ट की सहखातेदारी की कृषि भूमि कुल 22 किता की 5.96 हैक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित है जिसके पूर्व खातेदार राधाकिशन थे । राधाकिशन की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट कम 1 से 9 के हिस्से में आराजी दर्ज हुई । रेस्पोडेन्ट कम 1 मांगीलाल की तीन संतानें हैं । महेन्द्र, मूर्ति एवं मुकुट बिहारी । मुकुट बिहारी की मृत्यु हो चुकी है । अपीलान्ट कम 01 के दादा ससुर के जीवनकाल में अपीलान्ट कम 2 व 3 पैदा हो चुके थे और इस प्रकार भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी में उनके हित–निहित हैं । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/36 हिस्सा बनता है । ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा की अन्य आराजी खाता संख्या 51 निया की 123 रकबा 0.03 हैक्टर में मांगीलाल वाले हिस्से में से मांगीलाल का 1/104 हिस्सा बनता है और अपीलान्ट का कुल 1/104 हिस्सा बनता है । अन्य गैर खातेदारी की आराजी भी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा में शमिल है जो पुश्तैनी है जिसमें मांगीलाल का 1/9 हिस्सा है उसमें भी अपीलान्ट का कुल 1/104 हिस्सा है जिसे अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारी है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का बेचान करने पर आमादा हैं इस कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया है कि पक्षकारान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होते हैं । यदि पक्षकारान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होते हैं और पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं तो भी पैतृक सम्पत्ति में अपने अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट सहखातेदार हैं । अपीलान्टगण का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है और न ही वो इसके खातेदार है और न ही उनका कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 जिसके अनुसार ग्राम कंवरपुरा में नया खाता संख्या 51 पुराना 47 में खसरा नम्बर 123 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 52 पुराना 48 कुल 22 किता की 5.96 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । फ़ोटो प्रति नकल जमाबन्दी खाता संख्या नया 63 के अनुसार कुल 05 क़िता की 0.61 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति

नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर की भी पेश की गई है जिसमें राधाकिशन के खाते में 32 किता की 10.36 हैक्टर आराजी दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 के अनुसार कुल 05 किता की 0.61 हैक्टर भूमि राधाकिशन पिता गोपाल के गैर खातेदारी में दर्ज है ।

11. वादीगण द्वारा यह कथन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी राधाकिशन के खाते से रेस्पोडेन्टगण से खाते में आई और अपीलान्टगण मांगीलाल जो कि राधाकिशन का पुत्र है के पौत्र, पोती व पत्रवधु हैं इस नाते उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण को मांगीलाल के जीवनकाल में अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं और यदि उक्त आराजी में प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त हैं तो उनका हिस्सा कितना रहेगा ये समस्त तथ्य मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे इस स्टेज पर नहीं क्योंकि यदि वादग्रस्त आराजी को तर्क के लिए पैतृक माना जावे और उसमें अपीलान्टगण के हित–निहित माने जावें तो भी यह देखा जाना अनिवार्य है कि मांगीलाल की पत्नी जीवित है अथवा नहीं और मांगीलाल के महेन्द्र, मूर्ति और मुकुट बिहारी के अलावा अन्य कोई संतान है अथवा नहीं । इन समस्त तथ्यों का विनिश्चय करने के उपरान्त ही अपीलान्टगण के अधिकार एवं स्वत्व निर्धारण किये जा सकते हैं । वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा